तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2005 / 2571 / सीकर</u>** **बिरदाराम बनाम भगवानराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकल–पीठ</u>
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

<u>उपस्थित :–</u>

श्रीमती ज्योती पारीक, अभिभाषक अप्रार्थी
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

<u>दिनांक : 19 जुलाई, 2022</u>

<u>निर्णय</u>

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–5–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा–91 एवं 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थी के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर–19/216 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन शमशान ग्राम जीणवास तहसील दातारामगढ़ में स्थित है जिसमें वादीगण के पूर्वजों पुरखों के समय से शमशान निर्मित है, जिसे वे काम में लेते आ रहे हैं। उक्त भूमि खतौनी जमाबन्दी संवत 2011 से 2019 में ठाकुर मंगल सिंह मजकूर के नाम दर्ज थी, संवत 2020 में राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गयी। जमाबन्दी संवत 2018 से 2021 में उक्त भूमि किस्म शमशान दर्ज है। सन् 1960 में प्रतिवादी / प्रार्थी संख्या–1 व 2 के पिता द्वारा उक्त आराजी नायब तहसीलदार दातारामगढ़ से मिलकर अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया है। प्रतिवादी की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के नाम दर्ज कर दी गई है। उक्त भूमि दाह संस्कार के काम में आती रही है तथा जिसे गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया है। उक्त इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर शमशान भूमि के नाम रखा जाना आवश्यक है। प्रकरण दर्ज किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर प्रार्थी की ओर से जवाबदावा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2005 / 2571 / सीकर</u>** **बिरदाराम बनाम भगवानराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पेश किया गया और वाद पत्र में वर्णित कथनों से इन्कार किया गया तथा दावा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने का आधार भी लिया गया। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25–4–2005 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 20–5–2005 को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3– बहस उभयपक्ष सुनी गयी। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय नियम व रिकार्ड के सर्वथा विपरीत होकर निस्तनीय है। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, विपक्षीगण का इस भूमि पर कोई हक व अधिकार निहित नहीं है और ना ही वे सहखातेदार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत व्यक्ति खातेदारी घोषणा के लिये दावा ला सकता है, परन्तु अन्य अधिकार बाबत घोषणा का दावा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। इस महत्वपूर्णत बिन्दू को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय ने निहित क्षेत्राधिकार का गलत एवं मनमाना प्रयोग किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 सीपीसी पेश किया गया था, जिसे अवैधानिक तौर पर निरस्त कर निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने तात्विक अवैधानिकता की है। अतः निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–5–2005 निरस्त किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण का वाद निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :– 1– आरआरटी–2018(1) पेज–489 2– आरआरटी–2016–17 (सप्ली.) पेज–333	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2005 / 2571 / सीकर</u>** **बिरदाराम बनाम भगवानराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3– डीएनजे–2019(2) (राज.) (एचसी) पेज–839 5– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में निगरानीकर्ता / प्रतिवादीगण ने अपने जवब दावा की मद संख्या–12 में यही कथन किया था कि **"सिविल राइट्स सिविल अदालत ही प्रदान कर सकता है। राजस्व अदालत को इस संबंध में वाद सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।"** इस जवाब दावा के आधार पर तनकी संख्या–5 बनायी गयी है। जब पहले ही इस संबंध में तनकी बनी हुई है तब आदेश–7 नियम–11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस आधार पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दातांरामगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 20–5–2005 द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त कर विधिसम्मत निर्णय किया है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। 6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया। 7– पत्रावाली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दातांरामगढ़ में विचाराधीन प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–91, 16 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–213 व 92 के तहत प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में प्रतिवादीगण / निगरानीकताओं ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमें अन्य आपत्तियों के अतिरिक्त यह भी आपत्ति प्रकट की गयी कि यह प्रकरण सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार का है, ना कि राजस्व न्यायालय का। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर आठ तनकियात कायम की गई। प्रकरण में उभय पक्ष की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी थी एवं प्रकरण अन्तिम बहस के लिये निर्धारित था। 8– इस प्रकरण में प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2005 / 2571 / सीकर</u>** **बिरदाराम बनाम भगवानराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि यह प्रकरण सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है इसलिये प्रकरण इसी स्तर पर निरस्त किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20–5–2005 को उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। 9– इस संबंध में हमारा मत है कि जब प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर समस्त आपत्तियां उसमें अंकित कर दी थी और उन पर तनकियात कायम कर दी गयी थी। उभय पक्षों की साक्ष्य बन्द हो चुकी है, अब अन्तिम बहस होने के बाद तनकीवार निर्णय किया जायेगा। जब इस बिन्दु पर तनकी बनी हुई है तब आदेश–7 नियम–11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है। 10– निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने जो नजीरें प्रस्तुत की है उनके बारे में निम्न निष्कर्ष है :– 11– आरआरटी–2016–17 (सप्ली.) पेज–333 न्यायिक दृष्टान्त नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड आदेश के आधार पर अभिनिर्धारित किया गया था। अर्थात जब नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड आदेश पारित किया गया हो तो वह आदेश अपास्त किया जाना चाहिये, लेकिन इस प्रकरण में आलोच्य आदेश नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड आदेश नहीं होने से यह न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है। 12– आरआरटी–2018(1) पेज–489 यह न्यायिक दृष्टान्त पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने के संबंध में है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। यह प्रकरण पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने का नहीं है अपितु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–91 व 16 तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–213 व 92 के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसका क्षेत्राधिकार केवल राजस्व न्यायालय को है, सिविल न्यायालय को नहीं। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2005 / 2571 / सीकर</u>** **बिरदाराम बनाम भगवानराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं होता है। 13– डीएनजे–2019(2) (राज.) (एचसी) पेज–839 यह न्यायिक दृष्टान्त वेतन व अन्य अपीलों की वसूली के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। इस प्रकार निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरें इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है। 14– अतः उपर्युक्त विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दातांरामगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–5–2005 विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं। अतः यह निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2005 / 2571 / सीकर</u>** **बिरदाराम बनाम भगवानराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए